



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.पी.-अ.-13092024-257159
CG-MP-E-13092024-257159

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3604]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 13, 2024/भाद्र 22, 1946

No. 3604]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 13, 2024/BHADRA 22, 1946

रेल मंत्रालय

[पश्चिम मध्य रेलवे (गतिशक्ति यूनिट, भोपाल)]

अधिसूचना

भोपाल, 13 सितम्बर, 2024

का.आ. 3942(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (रेल संशोधित अधिनियम, 2008), की धारा 20(च) के खण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के भारत का राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मध्यप्रदेश राज्य के, नीचे दी गयी सारणी के स्तम्भ (3) में उल्लेखित जिले व स्तम्भ (4) उल्लेखित तहसील में विशेष रेल परियोजना "रूठियाई बायपास लाइन" के सम्बंध में ऐसे विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए स्तम्भ (2) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे प्राधिकारी के रूप में कृत्यों का निर्वहन करने के लिए आर्बीट्रेटर के रूप में नियुक्त करती है।

सारणी

क्रम. सं.	आर्बीट्रेटर	जिला	तहसील
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	कलेक्टर	गुना	राधौगढ़

[फा. सं. WCR. BPL 0 GSU (GSMS)/6/2024/RTA]

देवाशीष त्रिपाठी, मंडल रेल प्रबंधक

MINISTRY OF RAILWAYS
[West Central Railway (Gati Shakti Unit, Bhopal)]

NOTIFICATION

Bhopal, the 13th September, 2024

S.O. 3942(E).—In exercise of the powers conferred by clause (6) of section 20 F of the Railway Act, 1989 (Railway Amendment Act, 2008), the Central Government, hereby appoints the arbitrator mentioned in column (2) of the table below to perform the functions as such authority under the said Act, with effect from the date of publication of this notification in the Gazette of India, in respect of the Special Railway Project of “Ruthiyai Bypass Line” in the state of Madhya Pradesh, relating to the district mentioned in column (3) & Tehsil mentioned in column (4) of the table given below for the purpose of execution, maintenance, management and operation of such Special Railway Project.

TABLE

Sr. No.	Arbitrator	District	Tehsil
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Collector	Guna	Radhogarh

[F. No. WCR. BPL 0 GSU (GSMS)/6/2024/RTA]
DEVASHISH TRIPATHI, Divisional Railway Manager